रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265346
CG-DL-E-12082025-265346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 558]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 जुलाई, 2025.

फा.सं. आईडब्ल्यूएआई-15019/2/2022-जलीय.— भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (जी) और उपधारा (2) के खंड (जी) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2022 में, विनियम 3 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(4) "जल ग्रहण, बर्थिंग जेटी या फ्लोटिंग टर्मिनल के निर्माण के मामले में, ऐसे निर्माण की संरचना को नेविगेशन चैनल से कम से कम उस दूरी तक मुक्त रखा जाएगा, जो नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट है, जो तालिका के संबंधित स्तंभ (2) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय जलमार्गों की श्रेणी के अनुसार है।"

तालिका

क्र. सं .	राष्ट्रीय जलमार्गों की श्रेणी	दूरी (मीटर में)
(1)	(2)	(3)
1.	श्रेणी - I	7.5
2.	श्रेणी- II	12
3.	श्रेणी -III	13.5
4.	श्रेणी- IV	18
5.	श्रेणी -V	36
6.	श्रेणी -VI	42
7.	श्रेणी -VII	42”।

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईडब्ल्यूएआई /एनडब्ल्यू-5/20/2016-17 (भाग) दिनांक 15 नवंबर , 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

कर्नल हर्षवर्धन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./291/2025-26]

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025

F.No. IWAI-15019/2/2022-Hy.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with clause (g) of sub-section (1) and clause (g) of sub-section (2), of section 14 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations 2022, namely: –

1. (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2022, in regulation 3, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(4) In the case of construction of water intake, berthing jetty or floating terminal, the structure of such construction shall be free from navigation channel at least for the distance specified in column (3) of the table below, in respect of the category of national waterways specified in the corresponding column (2), of the said table, namely: –

Table

Sl.No.	Category of national waterways	Distance (in metres)
(1)	(2)	(3)
1.	Class-I	7.5
2.	Class-II	12
3.	Class-III	13.5

4.	Class-IV	18
5.	Class-V	36
6.	Class-VI	42
7.	Class-VII	42”.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, vide notification number F.No.IWAI / NW- 5/20/2016-17 (Part) dated the 15th November, 2022.

COL. HARSH VARDHAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./291/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.12 08:58:07 +05'30'